



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

प्रलिस के लयः

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948).

मेन्स के लयः

गरीबी, सरकार की नीतयौं और हस्तकषेप, वकिस से संबंघति मुददे, MGNREGA और संबंघति मुददे

चरचा में क्यौं?

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा चार राज्यौं (बहियर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में कयि गए एक अध्ययन के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने कोवडि-19 प्रेरति लॉकडाउन के कारण हुए आय नुकसान में 20-80% की भरपाई करने में मदद की।

- हालाँकि, सर्वेक्षण कयि गए 39% परिवारों को कोवडि-19 वर्ष में एक भी दिन का काम नहीं मला, क्यौंकि पर्याप्त कार्य का सृजन नहीं हो रहा था।

मनरेगा:

- परचिय:** मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
 - योजना का प्राथमिक उद्देश्य कसि भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंघति अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यो को प्रत्येक वतितीय वर्ष में **100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।**
 - वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड सक्रयि श्रमकि हैं।
- कार्य का कानूनी अधिकार:** पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के वपिरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारति ढाँचे के माध्यम से चरम नरिधनता के कारणों का समाधान करना है।
 - लाभार्थयों में कम-से-कम एक-तहिाई महलाएँ होनी चाहयि।
 - मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948** के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लयि नरिदषिट वैधानकि न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप कयि जाना चाहयि।
- मांग-प्रेरति योजना:** मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत कसि भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थति गारंटी प्राप्त है, जसिमें वफिल होने पर उसे 'बेरोजगारी भत्ता' प्रदान कयि जाता है।
 - यह मांग-प्रेरति योजना श्रमकियों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।
- वकिंदरीकृत योजना:** इन कार्यो के योजना नरिमाण और कार्यानवयन में **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** को महत्त्वपूर्ण भूमकिएँ सौंपकर वकिंदरीकरण की प्रक्रयिा को सशक्त करने पर बल दयिा गया है।
 - अधिनियम में आरंभ कयि जाने वाले कार्यो की सफिराशि करने का अधिकार **ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यो को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही नषिपादति कयिा जाता है।**



//

योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध समस्याएँ:

- **धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता:** अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा नरिदष्टि 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मज़दूरी भुगतान करने में वफिल रहे हैं। इसके साथ ही मज़दूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता है।
 - इसने योजना को एक आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक इसके तहत काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
 - इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे स्वयंसेवक मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मज़दूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है।
- **जाति आधारित पृथक्करण:** भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएँ नज़र आई हैं, जबकि नरिदष्टि सात दिनों की अवधि के अंदर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिये 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिये 37% भुगतान सुनिश्चित होता नज़र आया था, गैर-एससी/एसटी श्रमिकों के लिये यह मात्र 26% था।
 - मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों में जाति-आधारित पृथक्करण का नकारात्मक प्रभाव तीव्र रूप से महसूस किया गया है।
- **पंचायती राज संस्थाओं की अपरभावी भूमिका:** बेहद कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।
- **बड़ी संख्या में अधूरे कार्य:** मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संपन्न कार्य की गुणवत्ता व परसिंपत्त निर्माण समस्याजनक रही है।
- **जॉब कार्ड में धांधली:** फर्जी जॉब कार्ड, कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रविष्टियाँ और जॉब कार्डों में प्रविष्टियाँ करने में देरी जैसी भी कई समस्याएँ मौजूद हैं।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा कार्य प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- भुगतान अदायगी के मामले में व्याप्त कुछ वसिगतियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 22.24% कम आय प्राप्त होती है।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हर गाँव में सार्वजनिक कार्य शुरू हो। कार्यस्थल पर आने वाले श्रमिकों को बना किसी देरी के तुरंत काम दिया जाना चाहिये।
- ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, कार्य की मांग पर इसकी पूर्ति करने और समयबद्ध मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है।
- मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं, जैसे- [ग्रीन इंडिया पहल](#), [स्वच्छ भारत अभियान](#) आदि के साथ संबद्ध किया जाना भी उपयुक्त होगा।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम" से लाभान्वति होने के पात्र हैं? (2011)

- (a) केवल अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात परिवारों के वयस्क सदस्य
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (c) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (d) कसिी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) जो वशिव का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम है, को 25 अगस्त, 2005 को अधनियिमति कयिा गया था। यह वैधानकि न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनकि कार्य से संबंधति अकुशल श्रम करने के इच्छुक कसिी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लयि प्रत्येक वतितीय वर्ष में 100 दनिों के रोज़गार के लयि कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य 'कार्यों' (परयोजनाओं) के माध्यम से स्थायी गरीबी के कारणों को संबोधति करके सतत् विकास सुनश्चिति करना है। इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को महत्त्वपूर्ण भूमकिा देकर वकिेंद्रीकरण की प्रक्रयिा को मज़बूत करने पर भी ज़ोर दयिा जा रहा है।
- अतः वकिल्प D सही उत्तर है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mahatma-gandhi-national-rural-employment-guarantee-act-mgnrega>

